

**मांग संख्या 21**  
**मुख्य शीर्ष 2217**

**मद क्रमांक 1 एवं 2**

राज्य शासन द्वारा आई.डी.एस.एम.टी. योजनांतर्गत छोटे तथा मझोले नगरों की एकीकृत विकास हेतु केन्द्रांश रूपये 668.01 लाख एवं राज्यांश रूपये 192.79 लाख का प्रावधान किया गया है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 8,60,80,000 की अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मुख्य शीर्ष 4216**

**मद क्रमांक 3**

राज्य शासन द्वारा अंतागढ जिला कांकेर में शासकीय कर्मचारियों के लिये आवास गृहों का निर्माण कार्य करने का निर्णय लिया गया है इस हेतु रूपये 100.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 4**

राज्य शासन द्वारा बिलासपुर में विभिन्न श्रेणी के 30 नग आवासगृह निर्माण करने का निर्णय लिया गया है । इस हेतु रूपये 50.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।